भारत में महिलाओं के शैक्षिक स्तर में पदस्थिति का वर्तमान परिदृश्य : एक विश्लेषण

डॉ0 नीता,

एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग,
नारी शिक्षा निकेतन महाविद्यालय, लखनऊ, उ0 प्र0

भारतीय संविधान जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं, के लगभग छः दशक बाद भी स्त्रियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। कारण भले ही आज हम 21वीं सदी में पहुॅच गये हों, लेकिन हमारी मानसिकता उसी हजारों, साल पुरानी हिन्दू जड़वत सामाजिक व्यवस्था, रुढ़ियों परम्पराओं एवं हिन्दू धर्मशास्त्रों, की पोषक है, जिसमें महिलाओं के शोषण की अनेकानेक मान्यतायें/युक्तियां सुझायी गयी है।

प्राचीन 'धर्म ग्रन्थों' में महिलाओं को भारतीय समाज में 'अर्द्धांगिनी, गृह–स्वामिनी' एवं 'देवी' जैसे शब्दों से सम्बोधित करते हुए, महिमामण्डित किया गया है, किन्तु व्यावहारिक रुप में यह सम्मान उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। बल्कि इनकी आड़ में और भी उनका शोषण एवं उत्पीड़न होता रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा, जबकि दैनिक पत्र–पत्रिकाओं में महिलाओं के ऊपर अपराध, हिंसा या बर्बरता की खबर न हो। महिलाओं को अत्यधिक कानूनी सुविधा प्राप्त होने कके साथ तथा महिला आन्दोलन, समाज सेवी संगठनों, राजनेताओं के भरसक प्रयत्नों के पश्चात भी महिलायें पुरुषों द्वारा अमानवीय हिंसा की शिकार हो रही हैं आज भी महिलाओं को मारा–पीटा जाता है, दहेज के लिए उनके माता–पिता को मजबूर किया जाता है, बलात्कार, यौन–उत्पीड़न किया जा रहा है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एक पुरुष के मानसिक असंतुलन एवं भावनात्मक अस्थिरता व अपरिपक्वता का पहलू है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा विवाह के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जबकि पति, जिसके लिए यह समझा जाता है, कि वह अपनी पत्नी से प्रेम करेगा और उसे सुरक्षा प्रदान करेगा, उसे पीटता है। एक स्त्री के लिए उस आदमी द्वारा पीटा जाना, जिस प रवह सर्वाधिक विश्वास करती थी, एक छिन्न–भिन्न करने वाला अनुभव होता है। हिंसा, चांटे और लात मारने से लेकर हड्डी तोड़ना, यातना देना, मार डालने की कोशिश और हत्या तक हो सकती है।''

घरेलू हिंसा की परिभाषा

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या किसी काम का करना या आचरण, घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह –

(क) व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की या चाहे उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि करता है, या उसे कोई क्षति पहूॅचाता है या उसे संकटापन्न करता है या उसकी ऐसा करने की प्रवृत्ति है और जिसके अन्तर्गत शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग कारित करना भी है; या (Harms or injures or endangers the health, safety, life, limb or well-being, whether mental or physical, of the aggrieved person or tends to do so and includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse and economic abuse: or)

(ख) किसी दहेज या अन्य सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग की पूर्ति के लिए उसे या उससे सम्बन्धित किसी अन्य व्यक्ति को प्रपीड़ित करने की दृष्टि से, व्यक्ति का उत्पीड़न करता है या उसकी अपहानि करता है या उसे क्षति पहुँचाता है या संकटापन्न करता है; या (Harasses, harms, injures or endangers the aggrieved person with a view a to coerce her or any other person related to her to meet any unlawful demand for any dowry or other property or valuable security: or)

(ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) में वर्णित किसी आचरण द्वारा वयथित व्यक्ति या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति पर धमकी का प्रभाव रखता है; या (Has the effect of threatening the aggrieved person or any person related to her by any conduct mentioned in clause (a) or clause (b); or)

(घ) व्यथित व्यक्ति को, अन्यथा क्षति पहुँचाता है या उत्पीड़न कारित करता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। (Otherwise injures or cause harm, whether physical or mental, to the aggrieved person.)

स्पष्टीकरण – 1: इस धारा के प्रयोजनों के लिए

(1) **शारीरिक दुरुपयोग** – से ऐसा कोई कार्य या अचारण अभिप्रेत है जो ऐसी प्रकृति का है, जो व्यथित व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, अपहानि या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा कारित करता है या उससे उसके स्वास्थ्य या विकास का ह्रास होता है और इसके अन्तर्गत हमला, आपराधिक अभित्रास और आपराधिक बल भी है; (Physical Abuse – means any act or conduct which is of such a nature as to cause bodily pain, harm, or danger to life, limb, or health or impair the health or development of the aggrieved person and includes assault, criminal intimidation and crimical force;)

(2) लैंगिक दुरुपयोग – से लैंगिक प्रकृति का कोई आचरण अभिप्रेत है, जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार करता है या उसका अन्यथा अतिक्रमण करता है; (Sexual Abuse – includes any conduct of a sexual nature that abuse humilities, degardes or otherwise violates the dignity or woman;)

(3) मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग – के अन्तर्गत निम्नलिखित है, –

(क) अपमान, उपहास, तिरस्कार, गाली और विशेष रुप से संतान या नी बालक के न होने के सम्बन्ध में अपमान या उपहास; और (Verbal and emotional abuse – Insults, ridicule, humiliation, name, calling and insults or ridicule specially with regard to not having a child or a male child; and)

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करने की लगातार धमकियां देना, जिसमें व्यथित व्यक्ति हितबद्ध है; (Repeated threats to cause physical pain to any person whom the aggrieved person is interested;)

(4) आर्थिक दुरुपयोग – के अन्तर्गत निमनलिखित हैं –

(क) ऐसे सभी या किन्हीं आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिनके लिए व्यथित व्यक्ति किसी विधि या रुढ़ि के अधीन हकदार है, चाहे वे किसी न्यायालय के किसी आदेश के अधीन या अन्यथा संदेय हों या जिनकी व्यथित व्यक्ति, किसी

आवश्यकता के लिए, जिसके अन्तर्गत व्यथित व्यक्ति और उसके बालकों, यदि कोई हों, के लिए घरेलू आवश्यकताएं भी हैं, अपेक्षा करता है, किन्तु जो उन तक सीमित नहीं हैं, स्त्रीधन, व्यथित व्यक्ति के संयुक्त रुप से या पृथकृतः स्वामित्वाधीन सम्पत्ति, साझी गृहसथी और उसके रखरखाव से सम्बन्धित भाटक का संदाय, से वंचित करना।

(ख) गृहस्थी की चीजबस्त का व्ययन, आस्तियों का चाहे वे जंगम हो या स्थावर, मूल्यावान वस्तुओं, शेयरों, प्रतिभूतियों, बंधनपत्रों और उसके सदृश या अन्य संपत्ति का, जिसमें व्यक्ति कोई हित रखता है या घरेलू नातेदारी के आधार पर उसके प्रयोग के लिए हकदार है या जिसकी व्यथित या उसकी संतानों द्वारा युक्तियुक्त रुप से उपेक्षा की जा सकती है या उसके स्त्रीधन या व्यथित व्यक्ति द्वारा संयुक्ततः या पृथक्तः धारित किसी अन्य सम्पत्ति का कोई अन्य संक्रामण; और

(ग) ऐसे संसाधनों या सुविधाओं तक, जिनका घरेलू नातेदारी के आधार पर कोई व्यथित व्यक्ति, उपयोग या उपभोग करने के लिए हकदार है, जिसके अन्तर्गत साझी गृहस्थी तक पहुॅच भी है, लगातार पहुॅच के लिए प्रतिषेध या निर्बन्धन। यह अवधारित करने के लिये कि क्या प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या किसी कार्य का करना इस धारा के अधीन है। 'घरेलू हिंसाः का गठन करता है, मामले के सम्पूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की प्रकृति है

1. कामवासना के उद्देश्य से की गयी हिंसा।
2. आपराधिक मानसिकता।
3. परिवार की आर्थिक तंगी और तनावपूर्ण वातावरण।
4. सम्पत्ति को ध्येय में रखकर की गयी हिंसा।
5. पुरुषों के झूठे अहम का वहम आदि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को अंजाम देने वाले प्रायः वे होते हैं, जो–

   (क) हीनभावना से तथा अवसादग्रस्त होते हैं,

   (ख) मानसिक रुप से कमजोर होते हैं अथवा मनोरोगी होते हैं,

   (ग) जिनका जीवन अभाव में गुजरता हैं,

   (घ) बचपन में हिंसक वातावरण में पले–बढत्रे हो,

   (ड.) शराबी

   (च) शंकालु स्वभाव के होते हैं आदि।

भारतीय समाज में महिलाएं इतने लम्बे काल से अवमानना, यातना और शोषण की शिकार रहीं हैं, जितने काल के हमारे पास सामाजिक संगठन और पारिवारिक जीवन के लिखिल प्रमाण उपलब्ध हैं। अग्नि पुराण (169) में बताया गया हैं कि ''स्त्री हत्या करने वाले को 'कुत्ते', 'उल्लू' और कौवे की हत्या के बराबर पाप लगता है।' मनुस्मृति के अनुसार 'स्त्री के अपराध करने पर उसे बांस के डंडे से मारना चाहिए।' विचारधाराओं, संस्थागत रिवाजों और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने महिलाओं के उत्पीड़न में काफी योगदान दिया है। इनमें से कुद व्यावहारिक रिवाज आज भी पनप रहे हैं।

घरेलू हिंसा : एक विश्वव्यापी समस्या

महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाली हिंसा सम्बन्धित अध्ययनों से यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि भारत सहित दुनिया के सभी देश किसी न किसी रुप में महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा की समस्या का सामना कर रहे हैं। यह बात अलग है कि विकसित देशों में इसका प्रतिशत बहुत कम हैं, लेकिन तीसरे विश्व के देशों विशेषकर दक्षिण एशिया के देशों में इसकी स्थिति चिंताजनक कहीं जा सकती है। दक्षिण एशिया के प्रमुख देशों भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं श्रीलंका में महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलती है। इन देशों में घरेलू हिंसा पर किये गये अध्ययनों से स्पष्ट होता है, कि पाकिस्तान में 80 प्रतिशत महिलाएं घरेलू हिंसा का सामना करती हैं, सर्वेक्षणों से यह ज्ञात होता है, कि श्रीलंका में 60 प्रतिशत महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ हैं, कि चिली, मैक्सिकों, पापुआ, न्यूगिनी और कोरियाई गणतंत्र में दो तिहाई विवाहित युवतियों के साथ परिवार में हिसंक व्यवहार किया जाता हैं न्यूयार्क से प्रकाशित 'ट्रिब्यूशन' के अनुसार – अमेरिका में छः में एक महिला अपने पति द्वारा पीटी जाती है तथा 67 प्रतिशत घरों में महिलाओं के साथ पतियों द्वारा मारपीट होती है। पाकिस्तान में 99 प्रतिशत गृहणियां और 77 प्रतिशत काम–काजी महिलाएं पतियों द्वारा प्रताड़ना और हिंसक घटनाओं की शिकार होती हैं। भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की स्थिति दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में और भी अधिक गम्भीर है। महिलाओं की जितनी हत्याएं होती हैं, उनमें बांग्लादेश ब्राजील, कीनिया, पापुआ, न्यूगिनी और थाइलैण्ड में आधी ससे अधिक महिलाओं की हत्या वर्तमान या भूतपूर्व पतियों द्वारा की जाती है। वहीं इन देशों में महिलाओं की आत्महत्या का प्रमुख कारण वैवाहिक झगड़े और हिंसा होती है। जहॉ अमेरिका में प्रतिवर्ष 30 हजार महिलाओं की हत्या होती है, वहीं भारत में प्रतिदिन 33 महिलाएँ या तो जिन्दा जला दी जाती है या मार दी जाती है। भारत में हर 102 मिनट में एक दहेज सम्बन्धित हत्या होती है। लगभग 70 प्रतिशत पीड़ित महिलाएं 21–24 वर्ष की आयु समूह की होती है। मध्यम वर्ग की महिलाओं के उत्पीड़न की दर निम्न वर्ग या उच्च वर्ग की स्त्रियों से अधिक होती है।

हमारी परम्पराएं पितृसत्तात्मक होने के कारण स्त्री की उपेक्षा एवं पुरुषों को महत्व देती हैं, सोलहवीं शताब्दी की सामन्ती सोच पुरुषों में आज भी कायम है। सामाजिक जागरुकता और विकास के आंकड़े कुछ भी कहें, हकीकत यहीं है, कि स्त्रियों के प्रति परम्परागत पुरुषवादी रवैये में कोई बदलाव नहीं आया हैं, जिस पश्चिम उपभोक्तावाद को अक्सर हम समाज की मूल्य विहीनता के लिए दोषी ठहराते हैं, उससे जन्मी नई जीवन शैली में स्त्री उत्पीड़न कम होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पा रहा हैं, क्योंकि स्त्रियों के मामले में हमारा यह समाज चेतना के स्तर पर सामन्ती हैं। एक ओर हम आधुनिकता की बात करत`हैं, बदलाव की बात करते हैं, पर विचारों व मानसिकता में जो बदलाव अपेक्षित हैं, वह अभी तक नहीं हुआ हैं।

महिलाओं को प्रभावित करने वाले अपराधों की सूची

क्र0 सं0	अपराध	भारतीय दण्ड संहिता की धारा	अधिकतम सजा
1	दहेज मृत्यु	304 बी	आजीवन कारावास
2	आत्महत्या के लिए दबाव डालना	306	10 वर्ष
3	कत्ल करने की कोशिश	307	आजीवन कारावास
4	मार–पीट गम्भीर चोट पहुॅचाना	319,323	3 माह से 7 वर्ष
5	औरत की शालीनता भंग करने की मंशा से हिंसा या जबरदस्ती करना	354	2 वर्ष
6	पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा औरत पर क्रूरता	498–ए	3 वर्ष
7	बेइज्जती करना, झूठे आरोप लगाना	499	2 वर्ष
8	महिला की शालीनता को अपमानित करने की मंशा से अपशब्द कहना या अश्लील हरकतें करना	509	1 वर्ष
9	ऐसे कार्य जिनमें दूसरों की सुरक्षा और जीवन पर खतरा उत्पन्न हो	334, 336, 338, 336	3 माह से नरम 7 माह से कठोर
10	नजरबन्द रखना (साधारण या 10 दिन से अधिक)	340, 344	3 वर्ष 7 वर्ष

भारतीय पार्लियामेन्ट ने 1983 में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कानून बनाया जिसने पहली बार घरेलू हिंसा को कानूनी मोहर लगाई, इसके अन्तर्गत पति या उसके सम्बन्धी पत्नी के साथ क्रूरता या हिंसा करते हैं, तो वह कानूनी दण्ड का भागी होगा, साथ ही यह भी संशोधन किया गया, कि यदि पत्नी अपने विवाह के 7 वर्ष के अन्दर आत्महत्या करती है, तो पति व उसके परिवार के सदस्य को जिम्मेदार माना जायेगा, इतना कानूनी संरक्षण प्रदान करने के बाद भी महिलायें चाहे किसी भी जाति धर्म या वर्ण की हो शिक्षित हो या अशिक्षित, रोजगार करने वाली हों या न करने वाली हों किन्तु आर्थिक व राजनैतिक शक्ति पुरुषों के हाथों में होने के कारण उनके साथ अत्याचार व हिंसात्मक व्यवहार होना स्वभाविक ही है।

जनगणना 2001 के अनुसार सन् 1951 में केवल 8.86 प्रतिशत शिक्षित महिलाएं थी, किन्तु वर्तमान समय में उनका शैक्षिक स्तर बढ़कर 54. 16 प्रतिशत हो गया है, जो पुरुषों की तुलना में कम ही है, जो निम्न सारणी से स्पष्ट है:–

Year	Total Literacy (in percent)	Women Literacy (in Percent)
1951	18.33	08.86
1991	52.11	39.25
2001	60.38	54.165

वर्ष 2001 को यू0एन0ओ0 द्वारा महिला अधिकार वर्ष घोषित किया गया है। डॉ0 सरला गोपालन, (सचिव, भारत सरकार महिला एवं शिशु विकास विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय) ने एक अवसर पर कहा कि विश्व की महिलायें अवसर और सुविधाओं से लिंग भेद के कारण वंचित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से महिलाओं की पद स्थिति में सुधार करना तथा समान विकास शक्ति स्थापित करना, उन्हीं के शब्दों में – "The women of the world have been affected more by poverty. Lake of opportunities and facilities owing to the innate discrimination an equal status with men. In the last twenty years there has been a globle effort with a strong support from the United Nations to understand the discrimination and restore the status to women. The slogan has been equality development and peace.

वास्तविकता ये है, कि भारत में महिलाओं के शैक्षिक स्तर में अत्यधिक वृद्धि होने के बावजूद, यू0एन0ओ0 की महिलाओं में सशक्तिकरण की घोषणा के बाद भी, भारत सरकार द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समान बराबरी का कानूनी अधिकार प्रदान करने के बाद भी, आज भी महिलाओं की पद स्थिति अत्यन्त निमन है। वे मारी–पीटी जाती हैं, बलातकार, आतमहत्यायें, हत्याये ंदहेज उत्पीड़न एवं अनेक प्रकार के भेद–भाव अपमान अमानवीय व्यवहार का केन्द्र बिन्दु बनी हुयी है। (University News, Monday March 25, 1996)

भारत एवं उसके राजयों में अनुसूचित – जातियों की जनसंख्या जनगणना 2001 के अनुसार – भारत की कुल जनसंख्या में से 16.5 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों की है। जिसमें सबसे अधिक 28.9 प्रतिशत अनुसूचित जातियां पंजाब में है इसके बाद घटते हुए क्रम में क्रमशः हिमाचल प्रदेश (24.7), पश्चिम बंगाल (23. 2), हरियाणा (19.35), तमिलनाडू (19.0) एवं उत्तर प्रदेश (2.11) में हैं।

पुरुष – महिला लिंग अनुपात जनगणना 1901 – 2001 के अनुसार

जनगणना वर्ष	स्त्री–पुरुष अनुपात प्रति हजार पुरुष में महिला
1901	972
1911	964
1921	955
1931	950
1941	945

1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	926
2001	933

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है, कि देश में प्रारम्भ से ही स्त्री–पुरुष अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल रहा है, किन्तु परिवार नियोजन के नाम पर कुछ स्थितियों में गर्भपात को वैध घोषित किये जाने को लड़कों की चाहत रखने वाले लोगों ने बालिकाओं की भ्रूण हत्या करानी शुरु कर दी, यही कारण है, कि लगातार पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या, विभिन्न राजयों में निरन्तर कम होती जा रही है।

भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में महिलायें अपने आपको असुरक्षित महसूस करती है और उनके प्रति हिंसा का डर सदैव बना ही रहता है।' 'Violence Against Women in the United Status' अमेरिका में महिलाओं के प्रति हिंसा का यह रुप देखें –

1. **हत्या** – इस देश में घरेलू हिंसा के परिणामस्वरुप हत्या होती है, जिसमें या तो पति द्वारा या उनके दोस्तों द्वारा महिलाओं की हत्या की जाती है। एफ0 बी0 आई0 के अनुसार – एक साल में लगभग 1400 महिलाएँ अपने पति या अपने दोस्तों के द्वारा मारी जाती है।
2. **पति द्वारा पत्नी को पीटना** – लगभग एक लाख 70 हजार महिलायें पति द्वारा पीटी जाती हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता हैं।
3. **यौन उत्पीड़न** – लगभग एक लाख 32 हजार महिलाओं ने बताया कि या तो वे बलात्कार का शिकार हे, जिनमें से आधी से ज्यादा महिलायें बलात्कार करने वालों को पहचानती है। यद्यपि इस प्रकार की दुगुनी एवं छः गुनी महिलायें कोई सूचना नहीं देती है। प्रत्येक वर्ष 12 लाख महिलायें अपने पति या अपने दोस्त द्वारा बलात्कार का शिकार होती है।
4. **लक्ष्य** :– पुरुषों की तुलना में 10 गुनी महिलायें अपने सबसे निकट सम्बन्धियों द्वारा उत्पीड़ित की जाती है। युवा महिलायें जो तलाकशुदा हैं; परित्याग तथा जो अकेले रहती है। बहुत निम्न आर्थिक आय की महिलायें तथा अमेरिका में अफ्रीकन महिलायें जो समलैंगिक पुरुष हैं, वे भी हिंसा का शिकार हो रही हैं।
5. **बच्चों के ऊपर प्रभाव** – हिंसात्मक बाल अपराधी जैसे घरों में जहॉ पर हिंसा होती रहती है, में पले हैं, और जब वे बडत्रे होते हैं, तो हिंसा का प्रयोग करते हैं।
6. **स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं का प्रभाव** :– जो महिलाएँ मारी–पीटी जाती है, उनका स्वास्थ्य बनाये रखने की तुलना में, जो नहीं मारी पीटी जाती है उनसे दुगुना से अधिक होता है। लगभग 70 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं ने बताया कि वे मारी–पीटी जाती है, जिससे या तो उनका गर्भपात हुआ या उनके बहुत कम वजन का बच्चा हुआ, जो उपेक्षित हैं और

गाली–गलौज पायी जाने वाली महिलायें में अधिकतर आतमहत्या की शिकार होती हैं या घर से बाहर होती है।

7. (**Legislation :** In 1994, the national organization for women :- ने महिलाओं के प्रति हिंसा के लिए एक कानून बनाया, जो कि एक डॉलर प्रत्येक महिला के प्रति हिंसा की रिपोर्ट किये जाने पर इक्कठ्ठा होता हैं। (**Legislation :** In 1994, the national organization for women, the now legal definance and education fund, organization finally secured passage of the violence against women act, which provides a record breaking $ address issues of violence against women)

महिलाओं के ऊपर हो रहे विभिन्न प्रकार के अत्याचार जैसे – बलातकार, यौन–उत्पीड़न, बाल विवाह, महिलाओं को जलाना, मारना–पीटना, दहेज की मांग करना या सती होने के लिए प्रेरित करना एवं जबरदस्ती सती करना आदि का पुर–जोर विरोध किया एवं महिलाओं में इन अत्याचारों के विरुद्ध जागृत पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने एवं जनमत तैयार कर उनके न्याय के लिए संघर्ष करने का काम किया।

महिला आयोग का गठन भी, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर किया गया है, किन्तु विडम्बना यह है कि इन सबके बावजूद भी महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा हैं, शिक्षित एवं बड़ी पोस्टों पर कार्यरत पुरुष भी महिलाओं के उत्पीड़न में पीछे नहीं है। आर्थिक शक्ति एवं राजनैतिक चेतना के बाद भी महिलायें न जघन्य अपराध एवं अमानवीय दृष्टिकोण व व्यवहार की शिकार हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- आहूजा राम–सामाजिक समस्याएँ : रावत पब्लिकेशन जयपुर, नई दिल्ली 2010।
- यादव डॉ0 वीरेन्द्र सिंह – समकालीन परिवेश : विकल्प नीतियॉ और सुझाव, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली – सं. 2010।
- Tripathi R. C. – The protection of women from domestic violence Act, 2005 Alongwith the protection of women domestic violence rules, 2006.
- A national Crime Victimization Survey Report U. S. A. 1994.

Copyright © 2013. *Dr Neeta*. This is an open access refereed article distributed under the Creative Common Attribution License which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.